Journal of Social Review and Development, 2024; 3(1):134-135 ISSN NO: 2583-2816

Special Issue
"(Global Partnership: India's Collaboration Initiatives for Economic and Social Growth)"

कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मौलिक अधिकार

प्रोफेसर सीमा रानी
राजनीति विज्ञान, दमयंती राज आनंद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, बिसौली, बदायूँ, उत्तर प्रदेश, भारत
Correspondence Author: डॉ0 सीमा रानी

सारांश
वर्ष 2022 में, जनरेटिव प्री–ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर (GPT) एप्लीकेशन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मुख्य धारा में लाकर आई (AI) को एक नया मापदण्ड प्रदान किया है। यह लेख ए आई और मौलिक अधिकार के संबंध में विचार करता है। आज के समय में, ए आई का उपयोग स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, न्यायपालिका, और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में हो रहा है। हालांकि, इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से मानव समाज में कई चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। इस लेख में, हमने इस संदर्भ में विचार किया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग के साथ–साथ मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है।

मूलशब्द: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ए आई, जनरेटिव प्री–ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर, गोपनीयता, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, साइबर सुरक्षा, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, डेटा संरक्षण, बेरोजगारी, व्यक्तिगत जीवन

परिचय

वर्ष 2022 में जनरेटिव प्री–ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर (GPT) एप्लीकेशन के द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ताए आई को मुख्य धारा में लाया गया। ए आई का आशय कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट के ऐसे कार्य करने की क्षमता से है जो आमतौर पर मनुष्य द्वारा किए जाते हैं क्योंकि ऐसे कार्यों को करने के लिए मानवबुद्धी और विवेक की आवश्यकता होती है हालांकि अभी ऐसी कोई ए आई प्रणाली नहीं है जो एक सामान्य मानव द्वारा किए जा सकने वाले कार्य को कर सके कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आदर्श विशेषता इसकी युक्ति संगत कार्यवाही करने की क्षमता है जिसमें एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

आज शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र है जहां ए आई प्रौद्योगिकी का प्रयोग ना हो रहा हो स्वास्थ्य,व्यापार,शिक्षा,न्यायपालिका, साइबर सुरक्षा सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां ए आई का प्रयोग किया जा रहा है। आज मनुष्य के 90% कार्य ए आई के माध्यम से किया जा सकते हैं। ए आई द्वारा मनुष्य के जीवन के प्रत्येक पहलू में प्रवेश किया गया है। यहां तक की उसके मौलिक अधिकारों में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का निरंतर बदता प्रयोग मानव जीवन पर भी प्रभाव डाल रहा है प्रमुख रूप से उस के मौलिक अधिकारों पर। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि ए आई से हमें प्रत्येक क्षेत्र में लाभ प्राप्त हो रहा है परन्तु मौलिक अधिकारों के सामने ये एक चुनौती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के गॉडफादर कहे, जाने वाले जेफ्री हिंटन ने भी इसके नुकसान के विषय में लोगों को जागरूक किया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ए आई के कारण लोगों में अपनेपन की भावना समाज से ख़त्म होती जा रही है लोग अपनों से ज्यादा मशीनों के साथ समय गुजारते है। मशीनों के अधिक उपयोग से लोग बीमार और आलसी हो रहे है। मानव संसाधन की जगह कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने ले ली है जिस के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मनुष्य के एकान्तत्ता के अधिकार का हनन हुआ है। सर्विलांस, डाटा संग्रह के द्वारा व्यक्ति के निजता के अधिकार को चुनौती दी है। आज व्यक्ति अपने निजता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। वह हर समय एक निगरानी में है। यद्यपि गोपनीयता और डेटा संरक्षण अधिनियम 2014 (पीडीपी अधिनियम) अस्तित्व में है परन्तु ए आई इस कानून को चुनौती देता है। ए आई के बढ़ते उपयोग के लिए गोपनीयता सुरक्षा की यथास्थिति पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। ए आई सिस्टम द्वारा एकत्रित किये जाने पर डेटा सेट किसी के दैनिक जीवन के बारे में व्यक्तिगत या संवेदनशील विवरण प्रकट कर सकते है। ए आई समानता के अधिकार को भी प्रभावित करता है तथा भेदभाव को बढाता है। ए आई एल्गोरिथम थ्योरी के द्वारा काम करता है जो पारदर्शी नहीं है। उदहारण के लिए घर खरीदने के लिए ऋण चाहने वाले अलग जाति और धर्म के लोगों से उधारदाताओ द्वारा उपयोग किए जाने वाले ए आई टूल के कारण लाखों लोगों से अधिक शुल्क लिया गया है और कई कंपनियां नौकरी चाहने वालों का साक्षात्कार और स्क्रीनिंग करने के लिए ए आई दृ संचालित टूल का प्रयोग करती है जो कई विकलांग लोगो और अन्य संरक्षित समूहों के विरुद्व भेदभाव को बताता है। भेदभावपूर्ण प्रथाओं को ख़त्म करने के बजाय ए आई ने उसे और अधिक बढ़ाया है।

ए आई हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का भी हनन करता है। हमारी स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों पर इतना डाटा उपलब्ध है कि व्यक्ति को ये पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा डाटा प्रमाणिक है। वह

इस अप्रमाणित डाटा का प्रयोग करता है और अपनी सोच को प्रदर्शित नहीं करता।

यद्यपि ए आई उन्नत प्रौद्योगिकी की है जिसके द्वारा हम समाज में नागरिक जीवन को उन्नत शिखर पर पहुंचा सकते हैं परंतु इसका अत्यधिक प्रयोग मानवधिकारों के लिए खतरा बनता जा रहा है ए आई एल्गोरिथम और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम समानता के बुनियादी मानकों को सुनिश्चित करने में बार–बार विफल रहे हैं खासकर काले लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण प्रवृत्ति दिखाकर। 2015 में गूगल फोटो जिसे एक उन्नत पहचान सॉफ्टवेयर माना जाता है दो काले लोगों की तस्वीर को गोरिल्ला तस्वीर के रूप में वर्गीकृत कर दिया।

हांगकांग, चीन, डेनमार्क और भारत सहित विभिन्न राज्यों कि आपराधिक न्याय प्रणालियों में चेहरे– पहचान तकनीक को अपनाया जा रहा है। परन्तु इस तकनीक के उपकरणों के अमूल्यांकन पूर्वाग्रह ने काले लोगों को उच्च जोखिम वाले अपराधियों के रूप में देखे जाने के बड़े जोखिम में दाल दिया है जो समान व्यवहार और सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है।

ए आई को बेरोजगारी के स्रोत के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रही वृद्धि का जिक्र करते हुए रॉबर्ट स्किनडेल्सकी ने अपनी पुस्तक "वर्क इन द फ्यूचर" में लिखा है कि जल्द ही या बाद में हमारे पास नौकरियां खत्म हो जाएगी ए आई के कारण अमेरिका में 47: अमेरिकी नौकरियों को भविष्य में स्वचालन का खतरा है कोविड–19 महामारी ने पहले ही लाखों नौकरियों को प्रभावित किया है और ए आई क्रांति की एक नई लहर स्थिति को और खराब कर सकती है। विभिन्न क्षेत्रों में ए आई को लागू करने का परिणाम यह होगा कि गरीब और गरीब हो जाएंगे और अमीर और अमीर हो जाएंगे। अतरू हमारे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए ए आई एक चुनौती है।

युद्ध में सशस्त्र ड्रोनों के बढ़ते उपयोग विशेष रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा की गई कार्यवाही की निंदा 2010 की संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में की गई क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का उल्लंघन हुआ ड्रोन हमलों में मरने वाले 10 में से लगभग नौ लोग लक्षित लक्ष्य नहीं थे। स्वायंत प्रौद्योगिकी और ए आई के तेजी से विकास के परिणाम स्वरुप "हत्यारे रोबोट" जैसे पूरी तरह से स्वायंत हथियार भी सामने आए हैं, जो कई नैतिक कानूनी और सुरक्षा संबंधी चिताओं को बढ़ाते हैं। ये हथियार त्रुटिरहित नहीं है। जांचरी कालेनबर्म का लेख लड़ाकों और गैर लड़कों के बीच भेदभाव करने में इन हथियारों की क्षमता पर प्रकाश डालता है।

निष्कर्ष

वर्तमान में ए आई के निरंतर विस्तार से मानवाधिकारों पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि प्रौद्योगिकी हमारे दिन–प्रतिदिन के जीवन और समाज का केंद्र बन गई है। कठोर कानून सुरक्षा की कमी के कारण कम्पनियाँ शोषण के लिए समाज प्रदान करती हैं। कम विनियमन और उत्तरदायी के साथ ये कंपनियां नागरिक जीवन में प्रवेश करती हैं और मानवाधिकारों का तेजी से उल्लंघन करती हैं। भेदभाव को बढ़ावा देने से लेकर ए आई समान सुरक्षा, आर्थिक अधिकार, बुनियादी स्वतंत्रता के लिए खतरा है। इसके लिए समाज में उचित कानूनी मानकों की आवश्यकता है। ए आई निर्णय लेने की प्रतिक्रियाओं में पारदर्शिता में वृद्धि, तकनीकी दिग्गजों के लिए बेहतर जवाबदेही और समाज में नई प्रौ ोगिकियों के कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत समाज की आवश्यकता है। साथ ही "ए आई साक्षरता" को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जिससे समाज इसके बढ़ते प्रयोग के लाभ और हानि को समझ सके। कहते हैं कि किसी भी चीज का अत्यधिक प्रयोग खराब सिद्ध होता है ए आई के संबंध में भी यह कहावत सही साबित होती है। यदि ए आई का प्रयोग सीमित रूप से किया जाए तो यह समाज को विकास की एक नई दिशा दे सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. यूरोपियन कमीशन। हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ़ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी, 2018।
2. द इम्पेक्ट ऑफ़ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी ऑन द राइट टू ए फेयर ट्रायल पोस्टिड, 2021–10–20।
3. यूनाइटेड नेशन्स इन्टररिजनल क्राइम एण्ड जस्टिस रिसर्च इंस्टिट्यूट (यू एन आई सी आई)।
4. ओ ई सी डी। समाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ओ ई सी डी प्रकाशन, पेरिस, 2019।
5. प्रो० एम०पी मेहता। "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एण्ड ह्यूमन राइट्स, इण्टरडिसीपिलिनरी एप्रोचिस टू ह्यूमन राइट्स, कनक प्रकाशन, प्रयागराज, 2023।